Facts from the ground - Series

फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट - बिहार के कैमूर जिले के अधौरा में आदिवासियों पर पुलिस फायरिंग

अक्तूबर, 2020

बिहार में कैमूर जिले के अधौरा में आदिवासियों पर पुलिस फायरिंग की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

© Copyleft

इस रिपोर्ट को क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल के तहत उपलब्ध कराया गया है। लाइसेंस: http: // creativecommons.org/licenses/by/4.0. मूल स्रोत का संदर्भ और लिंक देकर, इस रिपोर्ट के किसी भी हिस्से का अनुवाद कराया जा सकता है, या इसे गैर-व्यावसायिक इरादे से दोबारा प्रकाशित कराया जा सकता है।

मूल स्रोत : अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन, दिल्ली समर्थक समूह, सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस

अक्तूबर, 2020

आवरण पृष्ठ सौजन्य : राजा रब्बी हुसैन
अभिन्यास : दिल्ली समर्थक समूह
अनुवाद : सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस

सिर्फ निजी वितरण के लिए

इसकी प्रतियां हासिल करने के लिए दिल्ली समर्थक समूह को निम्न पते पर लिखें

दिल्ली समर्थक समूह
पता : F10/12, मालवीय नगर, दिल्ली 110017

फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट
–
बिहार के कैमूर जिले के अधौरा में आदिवासियों पर पुलिस फायरिंग

अक्तूबर, 2020

फैक्ट-फाइंडिंग टीम के सदस्य :

अमीर शेरवानी खान (AIUFWP)

मातादयाल (AIUFWP)

राजा रब्बी हुसैन (DSG)

अमन खान (एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया)

अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP)

दिल्ली समर्थक समूह (DSG)

सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP)

बिहार के कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक में 11 सितंबर, 2020 को आदिवासियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इसके बाद चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यहां का दौरा किया और मामले की पड़ताल की। फैक्ट फाइंडिंग टीम में अमीर शेरवानी (अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन), मातादयाल (अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन), राजा रब्बी हुसैन (दिल्ली समर्थक समूह) और सुप्रीम कोर्ट के वकील अमन खान, ने बिहार के कैमूर जिला पहुंच कर 23 से 27 सितंबर, 2020 तक आदिवासियों से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली।

पृष्ठभूमि

मार्च, 2020 से बिहार में कैमूर जिले के भभुआ सब-डिवीजन के अधौरा ब्लॉक में तैनात वन विभाग अधिकारी आदिवासियों की खेती की जमीन को हड़पने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वन विभाग आदिवासियों को उनके गांवों से हटाना चाहता है। जिन गांवों से आदिवासियों को हटाने की कोशिश हो रही है उनमें गुलु, गोइया, दीघर, बाहाबार, पीपरा, साधो, बहेड़ा, डुमरावां और सरायनार शामिल हैं। सरायनार में पुलिस ने कथित तौर पर अगरिया आदिवासियों के 50 घर तोड़ डाले ताकि ग्रामीणों को वहां से हटाया जा सके। गुलु गांव में वन विभाग और बिहार सरकार के कर्मचारी पेड़ लगाने के नाम पर आदिवासियों की खेती की जमीन में गड्ढे खोद दे रहे हैं ताकि वे यहां से चले जाएंगे।

वनाधिकार और जमीन पर अपने हक को लेकर आदिवासियों के वन अधिकारियों से संघर्ष का इतिहास दशकों पुराना है। कैमूर में आदिवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ 1980 के दशक में कैमूर मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। इसका गठन भूमिहीनों, गरीब, दलित-आदिवासी को संगठित करने वाले प्रसिद्ध विचारक और संगठनकर्ता डॉ. विनयन की अगुवाई में किया गया था। 1974 में आगरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके निकले डॉ. विनयन ने बिहार के जहानाबाद जिले को अपनी कर्मभूमि बनाया। डॉ. विनयन इंदिरा गांधी के इमरजेंसी (1975 से 1977) के फैसले के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जयप्रकाश नारायण के समकालीन थे। डॉ. विनयन ने बिहार में गरीबों, शोषितों के बीच रहते हुए 32 साल बिताए थे और एक तरह से उन्हीं की जिंदगी का हिस्सा हो गए थे। बाद में उनके काम से प्रभावित होकर लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी ने उन्हें कई बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्स को पढ़ाने के लिए बुलाया। योजना आयोग ने भी बड़ी शिद्दत से उनसे इनपुट्स मांगे थे। उन्हें योजना आयोग की सलाहकार कमेटी में भी नामित किया। पीएमओ के अधिकारी भी उनसे सलाह मांगा करते थे। **डॉ. विनयन शोषित समुदायों के हक के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने के बड़े हिमायती थे।**

तस्वीर 1 : डॉ. विनयन

कैमूर मुक्ति मोर्चा, डॉ. विनयन और डॉ. बी. डी. शर्मा की ओर से शुरू किए गए जन मुक्ति आंदोलन (JMA) से जुड़ा हुआ था। कैमूर मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शोषित समुदायों के भूमि अधिकारों की वकालत की। लेकिन वनाधिकारों के सवाल पर डॉ. विनयन, अशोक चौधरी, डी थंकप्पन, रोमा मलिक और भारती राय चौधरी ने 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच का गठन किया – नाम रखा गया नेशनल फोरम ऑफ फॉरेस्ट पीपुल एंड वर्कर्स (NFFPW)। 2013 में यह फोरम अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन यानी AIUFWP में तब्दील हो गया। इस मंच का मकसद पूरे देश में वनाधिकार कानून लागू करने से जुड़ी समस्याओं का समाधान की दिशा में काम करना था। जमीन पर वनाधिकार कानून लागू करवाना इसके एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। ऐसी ही मजबूत वैचारिक बुनियाद और समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ कैमूर मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आज भी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जमीनी संघर्ष कर रहे हैं।

एक लंबे संघर्ष के बाद 2006 में भारत के वन-निवासी समुदायों, अनुसूचित जनजातियों, पारंपरिक, चरवाहे और अन्य वन-निवासी समुदायों को वनाधिकार कानून (FRA) के तहत पहचान मिली। आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य समुदायों के खिलाफ 'जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है,

उसे खत्म करने के लिए' 2006 में संसद में 'अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006' पारित कराया गया।

पारंपरिक और दूसरे वन-निवासियों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए तीन चरणों की प्रक्रिया लाई गई। इसके तहत ही वन-निवासियों के अधिकारों को दर्ज किया गया और उन्हें मान्यता मिली। इसके तहत खेती की जमीन, लकड़ी को छोड़ कर अन्य वनोपज और जंगल की सुरक्षा और संरक्षित करने से जुड़े अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। इससे पहले किसी भी कानून ने जंगल की सुरक्षा और उन्हें संरक्षित करने का अधिकार वन-निवासियों को नहीं दिया था। इस कानून ने जंगल में रहने वाले समुदायों को काफी कानूनी ताकत दी। इसके तहत अगर वन-निवासियों को कहीं से हटाया जाता है तो उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके हितों के कई प्रावधान वनाधिकार कानून 2006 में हैं।

इस ऐतिहासिक कानून का मकसद पुराने वक्त से आदिवासियों और दूसरे वन-निवासी समुदायों के साथ चले आ रहे अन्याय को खत्म करना था। लेकिन जमीनी स्तर पर इसके कारगर ढंग से लागू न हो पाने के कारण अब आदिवासी और दूसरे वन-निवासी समुदाय के लोग समाज के दूसरे वर्गों के और ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। इसलिए आदिवासी और वन-निवासियों के खिलाफ पुराने वक्त से जो अन्याय होता आया है वह अभी तक जारी है। कानून के कारगर तरीके से लागू न होने से यह स्थिति आई है।

हालांकि बिहार में वनाधिकार कानून 2006 पिछले 14 साल से लागू है लेकिन बिहार सरकार ने जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कैमूर जिले के आदिवासी इस संबंध में बिहार सरकार के झूठे वादों को सुन-सुन कर थक चुके हैं। लिहाजा इस इलाके के आदिवासियों ने अपने जन्मसिद्ध और संवैधानिक अधिकारों पर जोर देने के लिए 10 और 11 सितंबर, 2020 को अधौरा ब्लॉक के सामने दो दिन का धरना दिया। कैमूर मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जल, जंगल और जमीन पर अपने कानूनी अधिकारों की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे।

घटनाक्रम

10-12 सितंबर, 2020

10 सितंबर, 2020 को अधौरा ब्लॉक के 108 गांवों के महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों समेत हजारों आदिवासियों ने अधौरा के वन विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। यह धरना बिरसा मुंडा स्मारक स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ है। अगस्त, 2020 से ही इस धरने के बारे में दस हजार पर्चे बांटे गए थे। सरकार और वन विभाग के अफसरों को धरने के बारे में पहले से ही सूचना दे दी गई थी।

कैमूर मुक्ति मोर्चा की निम्नलिखित माँगें थीं :

- वनाधिकार कानून, 2006 लागू किया जाए

- संविधान की पांचवीं अनुसूची के मुताबिक कैमूर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार) कानून, 1996 को प्रभावी तौर पर लागू किया जाए
- कैमूर घाटी का प्रशासनिक पुनर्गठन हो
- 1927 का औपनिवेशिक भारतीय वन कानून रद्द हो
- छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हो
- प्रस्तावित कैमूर वन और वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व रद्द हो

इन मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर लोगों को प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उनसे कोई बातचीत के लिए आगे आया। शाम छह बजे तक अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। अपने पूर्वजों की जमीन, जंगल और जल स्रोत छिन जाने के डर से इकट्ठा हुए आदिवासियों ने वन विभाग के गेट पर ताला लगा दिया। यह उनके विरोध का प्रतीकात्मक तरीका था ताकि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके।

11 सितंबर, 2020 को भी आदिवासी धरने पर बैठे रहे। वन विभाग के लोग आए, उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर चले गए। दोपहर बाद धरना दे रहे आदिवासियों ने फैसला किया कि वे अंदर जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन जब आदिवासियों के प्रतिनिधियों का दल अंदर गया तो वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनसे गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। इसके बाद अचानक वहां और ज्यादा पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। इसके बाद अचानक पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने आदिवासियों पर बड़ी बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और आदिवासियों पर लाठियों से हमला कर दिया।

पुलिस फायरिंग में चापहाना गांव के एक आदिवासी प्रभु के कान को चीरती हुई गोली निकल गई। पुलिस ने आदिवासी महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों को घेरकर लाठियों से पीटा। कई लोगों की गंभीर चोट आई, जिसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई।

इसके बाद भी पुलिस की क्रूरता जारी रही। 12 सितंबर को पुलिस ने कैमूर मुक्ति मोर्चा का अधौरा स्थित दफ्तर तोड़ दिया। पुलिस ने कैमूर मुक्ति मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं को झूठे केस दर्ज कर के गिरफ्तार कर लिया। कार्यकर्ताओं को पहले हिरासत में रखा गया और फिर बाद में कैमूर जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। **इनमें गोइंया के सिपाही सिंह, (उम्र - 65 साल), बरडीहा के धर्मेंद्र सिंह (उम्र - 25 साल), झाड़पा के पप्पू पासवान (उम्र - 23 साल), बराप के लल्लन सिंह खरवार (उम्र - 45 साल), बरडीहा के कैलाश सिंह (उम्र - 65 साल), गोइंया के रामसकल सिंह खरवार (उम्र - 52 साल) सरायनार के हरिचरण सिंह (उम्र - 65 साल) शामिल थे। इनमें से सभी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए।**

सभी सातों कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 144/148/147/323/307/353/332/333/337/338/342 और 427 लगाई गई।

11 सितंबर को दोपहर 2:15 बजे पुलिस ने कैमूर मुक्ति मोर्चा के सात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 147 (दंगा भड़काने के लिए सजा), 148 (दंगा करना और घातक हथियार रखना) और 145 (यह जानते हुए लोगों को चले जाने के लिए कहा गया है फिर भी जान-बूझ कर गैरकानूनी तरीके से एक जगह इकट्ठा होना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा जिन अन्य आरोपों के आधार बना कर जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, वे इस तरह हैं - 323 (जान-बूझ कर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या की कोशिश), 353 (लोक सेवकों को उनकी ड्यूटी निभाने से रोकना और अपराध के मकसद से ताकत का इस्तेमाल करना) 332 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए जान-बूझ कर चोट पहुंचाना), 333 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए जान-बूझ कर गंभीर चोट पहुंचाना), 337 (दूसरे लोगों की जान और निजी सुरक्षा को खतरे में डालना) 338 (दूसरों की जिंदगी या निजी सुरक्षा को खतरे में डाल कर गंभीर चोट पहुंचाना), 188 (लोक सेवकों की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन), 427 (पचास रुपये तक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए बदमाशी करना), 342 (गलत ढंग से कैद में रखने की सजा), आर्म्स एक्ट की धारा 427 (गैरकानूनी उद्देश्य में इस्तेमाल के लिए हथियार रखना)

(नोट: 16 अक्तूबर, 2020 को सभी सातों कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी गई)

आदिवासी समुदाय के लोगों से संपर्क और बातचीत

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बिहार के कैमूर में अधौरा गांव के सात गांवों का दौरा किया। ब्लॉक का ब्योरा नीचे दिया गया है:

ब्लॉक का नाम :	अधौरा
राजस्व गांवों की संख्या :	108
कुल भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टेयर में) :	80578.49
कुल आबादी :	57100 (100 फीसदी)
कुल आबादी :	57,100 (100 फीसदी)
पुरुषों की आबादी :	29646 (51.9 फीसदी)
महिलाओं की आबादी :	27,454 (48.1 फीसदी)
लिंगानुपात :	926
आबादी (0-6 साल) :	11962 (20.9%)
अनुसूचित जाति :	7385 (12.93%)
अनुसूचित जनजाति :	29680 (51.98%)
कुल साक्षर आबादी :	25431 (56.34%)
पुरुष साक्षर आबादी:	16232 (68.96%)
महिला साक्षर आबादी:	9199 (42.59%)

(स्रोत : 2011 की जनगणना, भारत सरकार)

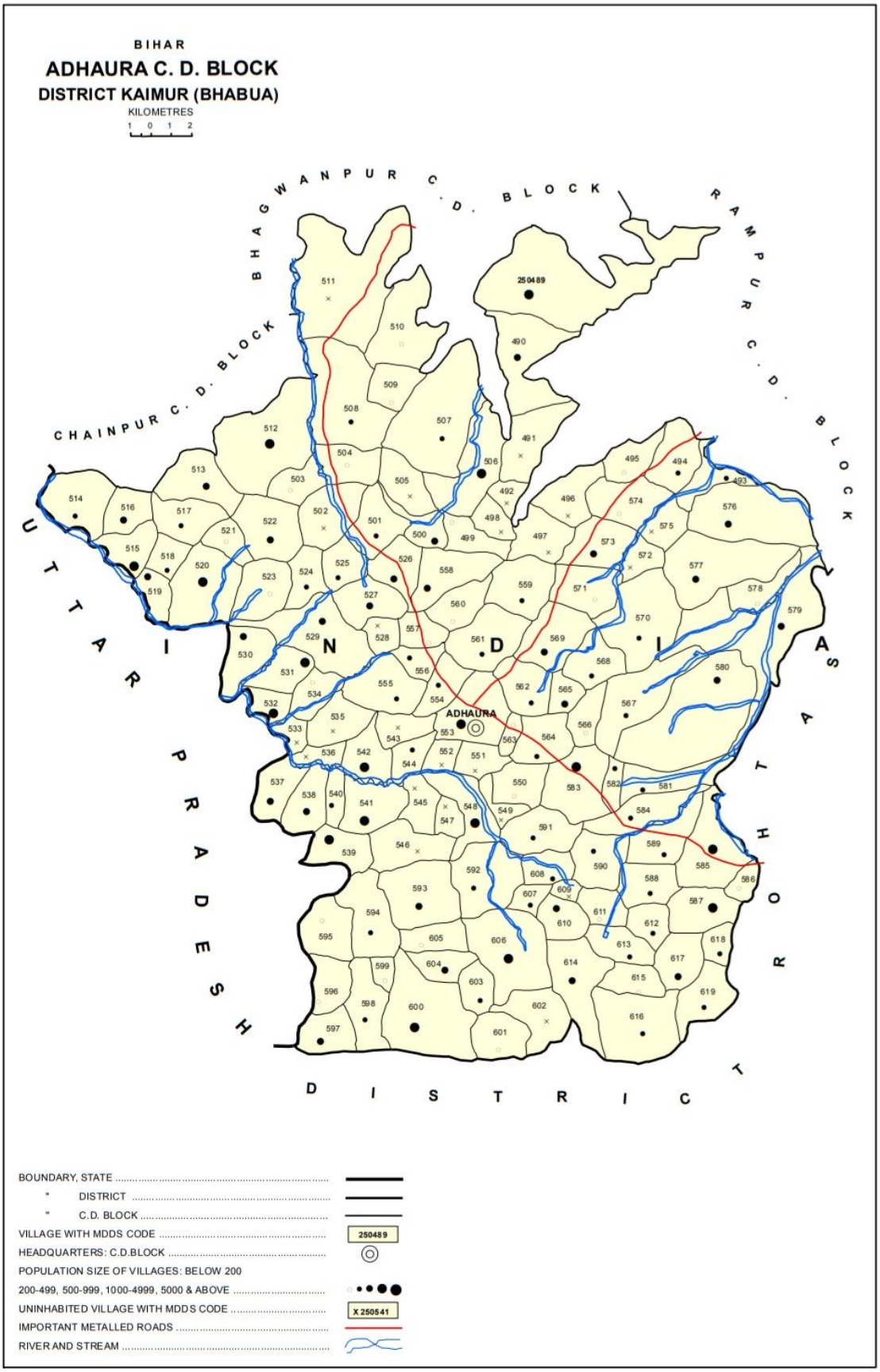

तस्वीर 2 : बिहार के कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक का नक्शा
(स्रोत : कैमूर जिला जनगणना 2011 हैंडबुक)

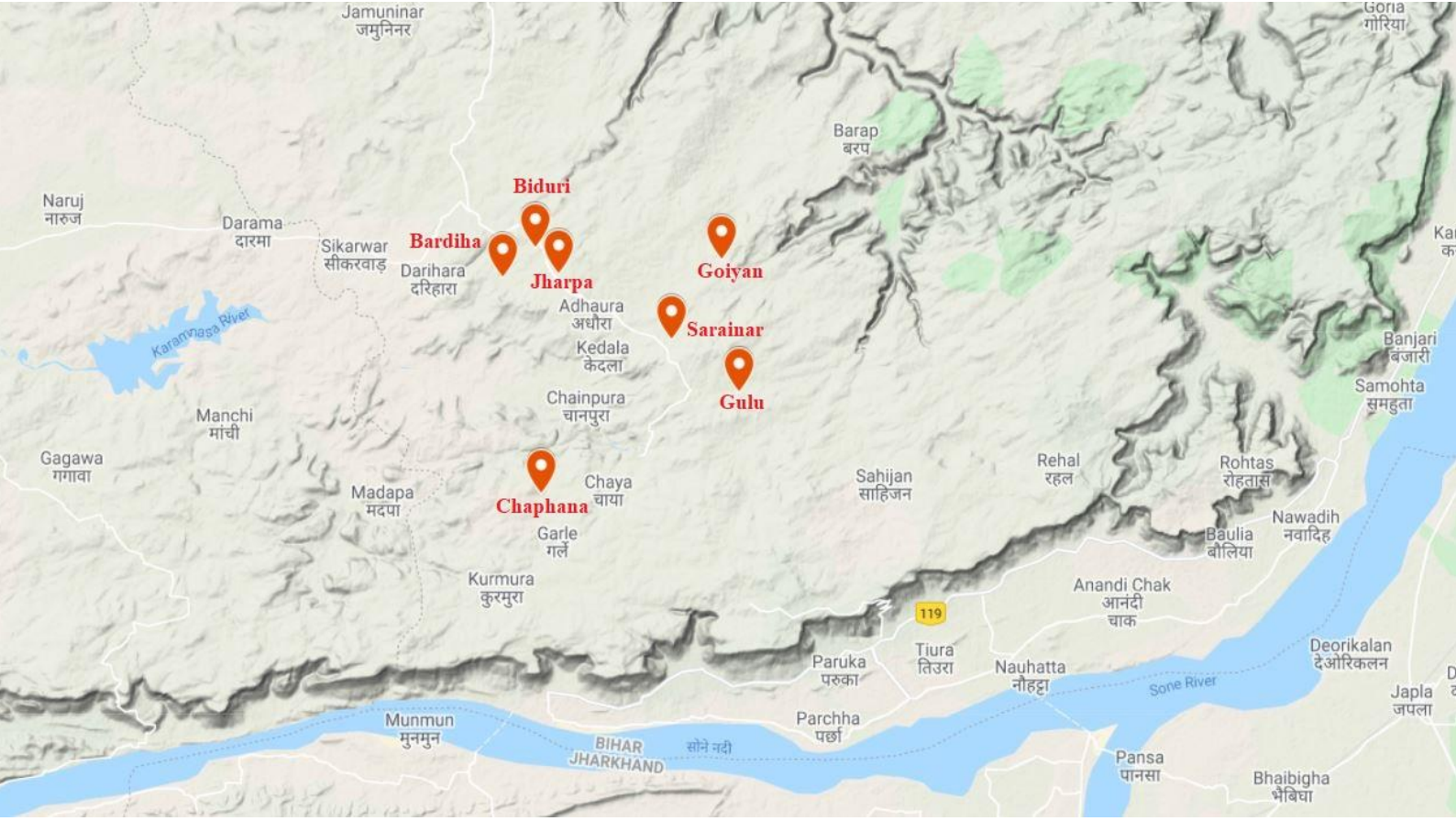

तस्वीर 3 : फैक्ट फाइंडिंग टीम की ओर से जिन गांवों का दौरा किया गया उनका नक्शा
(स्रोत : Google Maps)

जिन सात गांवों का दौरा किया गया है उनकी आबादी के स्वरूप और जमीन की प्रकृति की जानकारी :

गांव का कोड	गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल परिवार	कुल आबादी	पुरुष आबादी	महिला आबादी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल बुवाई क्षेत्र (हेक्टेयर में)	शुद्ध बुवाई क्षेत्र (हेक्टेयर में)
250582	गुलु	अठान	214	64	286	136	150	5	280	188.5	1.5	0
250564	सरायनार	चनपुरा	601	54	376	193	183	0	318	480.4	116.5	116.6
250556	बिदुड़ी	अधौरा	333	93	493	257	236	7	157	241.5	81.5	81.5
250555	बरडीहा	अधौरा	813	72	438	213	225	30	356	698.5	105.5	105.5
250568	गोइंया	डुमरांव	564	77	422	227	195	0	421	88.5	468.5	468.5
250593	चापहाना	सड़की	1056	117	822	419	403	11	803	890	161.9	161.4
250554	झाड़पा	अधौरा	458	51	283	141	142	131	140	341	66.8	66.8
कुल			4039	528	3120	1586	1534	184	2475	2259.5	935.4	883.7
%						*50.8*	*49.2*	*5.9*	*79.3*	*55.9*	*23.2*	*94.5*
										कुल भौगोलिक क्षेत्र (फीसदी में)		**शुद्ध बुवाई क्षेत्र (फीसदी में)**

तालिका 1 : अधौरा ब्लॉक के सात गांवों की आबादी और जमीन की प्रकृति
(स्रोत : भारत सरकार की जनगणना, 2011)

1993 में बिहार के रोहतास जिले को काट कर कैमूर बनाया गया था। कैमूर जिला कैमूर के पठारों पर बसा है। ये पठार कैमूर पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा हैं। इस इलाके के तराई में कई छोटी पठारें हैं। यह विंध्य रेंज का हिस्सा है जो बघेलखंड पर्वत श्रृंखला और छोटानागपुर पठार से घिरा है। कैमूर जिले में दो उप जिला मुख्यालय हैं। भभुआ सब-डिवीजन और मोहनिया सब-डिवीजन। अधौरा कैमूर जिले के ग्यारह विकास प्रखंडों में से एक है। अधौरा ब्लॉक समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर कैमूर पठार पर स्थित है। इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र 80578 हेक्टेयर का है। भारत सरकार की 2011 की जनगणना के मुताबिक अधौरा प्रखंड की कुल आबादी है 57,100। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर 926 महिलाओं का अनुपात है। यहां के 51 फीसदी लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। ज्यादातर लोग खरवार समुदाय से हैं। अधौरा ब्लॉक में 108 राजस्व गांव हैं। लेकिन सिर्फ 72 गांवों में ही शिक्षा सुविधा है। 11 गांवों में ही चिकित्सा सुविधा है। 22 गांवों में कोई परिवहन और संचार संरचना नहीं है। सिर्फ 13 गांवों में बैंकिंग सुविधा है। 2011 से इनमें से दो में बिजली की सुविधा है। कोविड-19 के बाद इन गांवों में कोई भी सुविधा काम नहीं कर रही है। सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र काम कर रहा है।

फैक्ट फाइंडिंग टीम 23 सितंबर, 2020 को कैमूर जिला पहुंची। कार्यकर्ताओं से मिलने पर पता चला कि पुलिस ने सात आदिवासी पुरुषों को गिरफ्तार किया है। अन्य 29 आदिवासी कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। इन लोगों से मुलाकात के बाद टीम अधौरा ब्लॉक की ओर चल पड़ी। रास्ते में कैमूर मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत के दौरान पता चला कि आदिवासी समुदाय यहां खेती से जीविका चलाता है। इस इलाके में धान, मूंगफली, अरहर और कई तरह की सब्जियों की खेती होती है। खरवार और दूसरे जनजातीय समुदाय काफी हद तक जंगलों पर निर्भर हैं। उनके पास अलग-अलग ऑर्किड, बागानों, दूसरे पेड़ों, पौधों, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों की गहरी और विस्तृत जानकारी है। इनसे ये दवाइयां बनाते हैं, भोजन हासिल करते हैं। रंग बनाते हैं। ये सब इनकी जीविका के स्रोत हैं। आदिवासियों ने टीम को बताया कि जंगल उनकी आत्मा है। इसके बिना उनकी पहचान अधूरी है। लिहाजा वे उनकी जीविका और पहचान छीनने वाले किसी भी ताकत से टकराने के लिए तैयार हैं।

24 सितंबर को फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अधौरा ब्लॉक के बिदुड़ी गांव का दौरा किया। टीम ने अधौरा ब्लॉक के बिदुड़ी गांव का दौरा किया। वहां टीम सुभाष सिंह खरवार के परिवार से मिली जो एफआईआर नं (71/20) के मुताबिक आरोपी हैं।

टीम ने माँ गंगाजलि देवी (उम्र – 59 साल) और बहन फूलन कुमारी (17) और छोटे भाई विनय सिंह (18 साल) से बातचीत की। परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर बदतमीजी के आरोप लगाए। विनय के मुताबिक पुलिस उनके घर में बगैर किसी दस्तावेज़ या सर्च वारंट के घुस गई। पुलिस अधिकारी सुभाष और उनके छोटे भाई चंद्रअशोक सिंह खरवार को तलाश रही थी। वे दोनों आईपीसी की धारा **144/148/147/323/307/353/332/333/337/338/427 और 342** के तहत आरोपी बनाए गए थे।

सुभाष की मां और बहन धरना-प्रदर्शन में शामिल नहीं थीं लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया गया। 12 सितंबर को पुलिस अधिकारी (सभी पुरुष पुलिस अधिकारी) उनके घर में घुस आए। उस वक्त घर में परिवार का कोई पुरुष सदस्य नहीं था। सुभाष एक सरकारी कॉलेज में दर्शन-शास्त्र के लेक्चरर हैं। उनकी माँ ने हमें बताया की पति की मौत के बाद उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने बच्चों को बड़ा किया और पढ़ाया-लिखाया।

उन्होंने खास तौर पर यह बताया है कि बच्चों की परवरिश करने के संघर्ष के दिनों में वह किस तरह पूरी तरह जंगल पर आश्रित थीं। उन्होंने यह भी बताया कि सुभाष लेक्चरर की नौकरी करने के बावजूद किस तरह अधौरा के लोगों से जुड़े हैं और उनकी जमीन, जंगल और जल संसाधन बचाने के संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। लेकिन जंगल में जब कभी स्थानीय लोगों का पुलिस से सामना होता है तो वो उन्हीं को धमकी देती है और प्रताड़ित करती है। उन्होंने कहा कि गैर-काष्ठ वन उत्पाद, अन्य वनोपज इकट्ठा करने जाते हैं, तब रास्ते में मिलने वाले वन अधिकारी उन पर बेमतलब का जुर्माना ठोक देते हैं। वे उनके औजार छीन लेते हैं और कभी-कभी उनके मवेशियों को जबरदस्ती ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय उनकी आवाज दबाने में लगी है।

गौरतलब है कि **पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 19 (आजादी का अधिकार), अनुच्छेद 20 (3) (खुद को अभियुक्त घोषित करने के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन किया है**। पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने आपराधिक दंड संहिता की धारा 165 का उल्लंघन किया।

टीम ने बिदुड़ी गांव के अन्य लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने बार-बार यही कहा कि पुलिस अधिकारियों ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर उनके गांव में तोड़-फोड़ की। गांवों वालों को धमकियां और गालियां दी गईं। जब टीम ने उनसे पूछा कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उनके साथ बदसलूकी क्यों की तो उन्होंने बताया कि चूंकि अधौरा ब्लॉक में दिए गए धरने में इस गांव के लोगों ने हिस्सा लिया था इसलिए उनके साथ यह सुलूक किया गया। कई गांव वालों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना है कि वे अपना दुख अपनी चुनी हुई सरकार को बताने गए थे लेकिन बदले में पुलिस की लाठियां और गोलियां खानी पड़ीं।

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अधौरा पंचायत के बरडीहा गांव दौरा किया। वहां उसकी मुलाकात धर्मेंद्र सिंह के पिता हीरा सिंह खरवार से हुई। 25 साल के खरवार आदिवासी धर्मेंद्र को समान आरोप में सुभाष और उसके छोटे भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। धर्मेंद्र कैमूर मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं। उन्होंने अधौरा ब्लॉक पर लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित किए गए दो दिवसीय धरने में हिस्सा लिया था। गांव वालों का कहना था कि कैमूर मुक्ति मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता बुजुर्ग थे। गांव वालों का कहना था कि कार्यकर्ताओं ने धरना की जगह तय करने के लिए जरूरी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया था। साथ ही स्थानीय प्रशासन से धरना आयोजित करने की अनुमति भी ले ली थी।

अधौरा ब्लॉक के 108 गांवों के आदिवासी समुदाय के लोग प्रशासन से वनाधिकार कानून, 2006 के घोर उल्लंघन और इस कानून के प्रावधानों को लागू न किए जाने के सवाल पर प्रशासन से बात करना चाहते थे। वे प्रशासन से पूछना चाहते थे कि आखिर अनुसूचित क्षेत्र कानून, 1996 के पंचायत विस्तार और छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। इन सभी कानूनों के तहत भारत के जनजातीय समुदाय के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं।

लेकिन 11 सितंबर को पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से गांव वालों पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों ने बड़ी बेरहमी से लाठियां बरसाईं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर बंदूक की गोलियां दागीं।

जिन महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई थीं उनमें से एक रामराजी खरवार ने अपने चोट के ज़ख्म दिखाए। उन्होंने कहा कि सरकार, वन विभाग और पुलिस अधिकारी आदिवासी लोगों को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने पूर्वजों की संपत्ति सरकार को सौंप दें। महिलाओं ने बताया कि जंगल कैसे उनकी जिंदगी और उनके समुदाय के लोगों का अभिन्न हिस्सा है। दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। वह काफी मुखर हैं और पूरे दम-खम के साथ जंगल की जमीन पर दावा ठोकती है। (बरडीहा गांव की आदिवासी महिला)

बरडीहा गांव के रहने वाले स्थानीय पत्रकार कवींद्र सिंह से भी फैक्ट फाइंडिंग ने मुलाकात की। वह स्थानीय हिंदी अखबार 'दैनिक जागरण' में काम करते हैं। वह दो दिनों चले आ रहे धरने को कवर करने की ऑफिशियल ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग शांतिपूर्वक अपने स्थानीय लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरने पर बैठे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केएमएम के कार्यकर्ताओं ने धरने की जगह के लिए अनुमति ली थी। उन्होंने कहा था कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे।

कवींद्र सिंह ने इस मामले में अपना नजरिया जाहिर करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को लगा कि लोकसेवक इस देश के नागरिकों की सेवा के लिए हैं लेकिन उन्होंने यहां पहुंचकर लोगों की शिकायतें भी सुनने की जहमत नहीं उठाई । विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से पहले से बंद पड़े फॉरेस्ट रेंजर के दफ्तर पर ताला जड़ने का फैसला किया। अगले दिन योजना के मुताबिक गांव वाले उसी जगह पर इकट्ठा हुए। इनमें से कुछ कार्यकर्ता बंद पड़े और वन और पुलिस विभाग को देखने अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका लगाया ताला टूटा पड़ा है। कोई भी वहां जमा हुए 108 गांव के लोगों की शिकायतें सुनने नहीं आया। इसके बाद वहां इकट्ठा लोगों ने रेंजर के दफ्तर में घुस कर उनसे बात करने की कोशिश शुरू की तो अचानक बगैर चेतावनी के पुलिस ने बेचारे गांव वालों पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह पीटा। इसके बाद लोगों ने चार-पांच गोलियां दागने की आवाज सुनी। कुछ ही घंटों में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर्स और थाना प्रभारी अधौरा पहुंच गए।

तस्वीर 4 : बरडीहा में गांव वालों की सभा
(फोटो सौजन्य : दिल्ली समर्थक समूह)

फैक्ट फाइंडिंग टीम इसके बाद गोइंया गांव पहुंची। डुमरांवां पंचायत का यह गांव खरवार आदिवासियों का है। गांव के लोगों ने कहा कि वहां के 100 लोगों ने धरने में हिस्सा लिया था। टीम ने फूलमतिया और समुद्री से भी मुलाकात की। दोनों पर पुलिस ने हमला किया था। फूलमतिया की छाती में चोट लगी थी। सिपाही (उम्र, 65 साल) और रामशक्ल सिंह (उम्र 65 साल) को भी गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों को एसपी और एसडीओ बातचीत करने के बहाने बुलाया गया। 12 सितंबर को शाम 5 बजे दोनों को पुलिस दफ्तर में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पुलिस हिरासत में अधौरा भेज दिया गया।

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इसके बाद कैमूर मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी सचिव राजालाल सिंह खरवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैसे सत्तारुढ़ पार्टी लगातार कैमूर के इतिहास के भगवाकरण में लगी है। उनका मकसद आदिवासियों में फूट डालना और उनके एजेंडे को खतरे में डालना है। इसके साथ ही उन्होंने संथालों के संघर्ष और चालीस लाख साल पुरानी कैमूर की पहाड़ियों के समृद्ध इतिहास का भी जिक्र किया।

उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया कि सरकार उन्हें उनके बाप-दादा की जमीनों से बेदखल करना चाहती है क्योंकि यहां कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) बनाया जाना है। इस मुद्दे पर कैमूर मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी सचिव राजालाल सिंह खरवार ने कहा, “बरसों से हम रोजाना अपने दिन का अधिकतर वक्त इन जंगलों में ही बिताते हैं लेकिन आज तक

हमने कोई बाघ नहीं देखा और न किसी बाघ से हमारा सामना हुआ। इस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का एक ही मकसद है। यह सिर्फ हमारी जमीन लेने और हमें यहां से खदेड़ने की साजिश है।

तस्वीर 5 : गोइंया गांव में पंचायत के लोग
(फोटो सौजन्य : दिल्ली समर्थक समूह)

राजालाल सिंह खरवार ने बताया कि कैसे जंगल और आदिवासियों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। उन्होंने बताया कि कैसे जनजातीय लोगों का जीवन जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र पर टिका है। उन्होंने यह भी बताया कि जंगल कम होने की वजह से जंगली जानवर वहां से भाग रहे हैं। सरकार और वन विभाग की गतिविधियों की वजह से जंगल इन जानवरों से खाली हो रहे हैं। सरकार और वन विभाग आदिवासियों की जमीन हड़पने और पर्यावरण की धज्जियां उड़ाने में लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार को संरक्षण के नाम पर वन संसाधन से लोगों को अलग करने के बजाय वन क्षेत्र में कमी की जवाबदेही लेनी चाहिए। राजा लालसिंह खरवार (कार्यकारी सचिव, कैमूर मुक्ति मोर्चा) कहते हैं, "अगर यहां बाघ भी मिले हैं तो हमें उनसे डर नहीं है क्योंकि वन्यजीवों से सह-अस्तित्व का हमारा वर्षों पुराना इतिहास है। हम किसी को विस्थापित नहीं होने देंगे। हमारे लिए यह 'करो या मरो' का सवाल है।"

खरवार ने कहा कि मुश्किल में फंसे जनजातीय समुदाय के लोगों के पास अब चुनाव के बहिष्कार के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। क्योंकि अधिकारियों ने अधौरा में धरने पर बैठे लोगों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां और गोलियां चलवाईं। इन लोगों ने क्या किया था? यही ना कि

उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर अपने वैधानिक अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई थी। इसके अलावा क्रूर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई। इससे प्रदर्शनकारी व्यथित हो गए और उन्होंने पलटवार किया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। एक कार्यकर्ता को गोली लगी और कइयों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने कैमूर मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में लगा ताला तोड़ दिया और वहां छापे डाले। अब यहां कार्यकर्ताओं को पकड़ कर उन्हें माओवादी बता देना नियमित मामला हो गया है। खरवार ने कहा कि पुलिस और सरकार भले ही हिंसा करें लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

राजा लालसिंह खरवार और छह दूसरे लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट, 1959 के धारा 27 के तहत गैरकानूनी ढंग से हथियार इकट्ठा करने जैसे आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

राजा लालसिंह खरवार का कहना है, "यह जनजातीय बहुल इलाका है। लेकिन सरकार ने इसे दो जिले के आठ ब्लॉक में बांट दिया है ताकि हमारा इलाका पांचवीं अनुसूची के दायरे से बाहर हो जाए। हमारी मांग है कि कैमूर पहाड़ियों का प्रशासनिक पुनर्गठन हो और आदिवासियों के लिए ही सिर्फ दो ब्लॉक बनें। इससे हमारा इलाका पांचवीं अनुसूची के दायरे में आ जाएगा।"

24 तारीख की शाम को फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने गणेश सिंह के बेटे हरिचरण सिंह से मुलाकात की। चनपुरा पंचायत के सरायनार गांव के 65 साल के इस बुजुर्ग आदिवासी को धरने के दिन पुलिस हमले में गहरी चोट आई है। उनके सिर पर भारी चोट है। उनकी उम्र और चोट के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सरायनार के ग्रामीणों ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए भभुआ के अस्पताल में ले जाना पड़ा। इसके बाद उन्हें क़ाराटाइंन में विक्रमगंज (भभुआ से 50 किलोमीटर दूर) के एक ज्यूडिशियल कस्टडी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। उनका परिवार उनके लिए काफी चिंतित हैं। परिवार वालों को पता नहीं था कि उन्हें रखा कहां गया है। सरायनार गांव लगातार वन विभाग की बेरहमी का शिकार रहा है। वन विभाग के अधिकारी गांव के लोगों को जंगल से लकड़ी और दूसरे वनोपज नहीं लेने देते। वन विभाग के अधिकारी कच्चे घर भी नहीं बनाने दे रहे। उन्हें बड़े ही सधे तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। गांव वालों ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया कि वन विभाग के अधिकारी जबरदस्ती आदिवासियों के मवेशी भी ले जाते हैं। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के प्रति ग्रामीणों को काफी शिकायतें हैं। गांव वालों के खिलाफ पुलिस की हिंसा पर काफी गुस्से का माहौल है। लौटने के दौरान फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि सड़कों की स्थिति काफी खराब है। इसी तरह एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति भी काफी लचर है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऑनलाइन पढ़ाने या अतिरिक्त तौर पर क्लास लगा कर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने देखा कि वन विभाग ने जबरदस्ती आदिवासियों के कच्चे घर तोड़ दिए गए हैं।

मौजूदा सरकार के गुड गवर्नेंस, इनक्लूसिविटी और विकास के दावे जमीन पर जुमले की तरह मालूम पड़ते हैं। 25 सितंबर को टीम सड़की पंचायत के चापहाना गांव की ओर चल पड़ी। वहां टीम घायल

प्रभु के घर पहुंची। प्रभु को पुलिस फायरिंग में गोली लग गई थी। उनके कान को चीरती हुई निकल गई थी। जब फैक्ट फाइंडिंग गांव पहुंची तो लोगों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा दिखा। गांव वालों में गुस्सा था और वे चिंतित भी थे। गांव वालों से बातचीत करने में हिचकिचा रहे थे, और उन्हें खुलने में थोड़ा समय लगा क्योंकि उन्हें लग रहा था फैक्ट फाइडिंग के लोग वन विभाग के हैं। वन विभाग के प्रति गांव वालों में जिस तरह का डर दिखा उससे वहां के जमीनी हालात के बार में पता लग गया। यह भी पता चल गया कि सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारियों का क्या हाल है?

गांव वालों के अंदर सरकार के प्रति गहरा संदेह था और उनमें असुरक्षा की भावना भरी हुई थी। गांव वालों ने सोचा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग उस शख्स को गिरफ्तार करने आए हैं, जिसके कान में गोली लगी थी। डर से वह शख्स गायब हो गया। उस व्यक्ति के परिवार वालों ने फैक्ट फाइंडिंग टीम से बात करने से साफ इनकार कर दिया गया। टीम ने उन्हें भरोसे में लेने और तनाव कम करने की काफी कोशिश लेकिन किसी से भी ज्यादा बात नहीं हो पाई। सौभाग्य से कुछ गांव वालों ने बाद में बताया कि पुलिस ने उनके साथ किस तरह की बेरहमी की थी। 11 सितंबर को पुलिस और वन अधिकारियों ने उनके साथ जो सुलूक किया, उसका पूरा ब्योरा उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ प्रमुख संगठन और संस्थाएं अपने स्वार्थ के लिए वन विभाग अधिकारी और गांव वालों के बीच मध्यस्थता करने में लग गए थे। वे वन विभाग के लोगों के साथ मिल कर काम करते हैं और गांव वालों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से वन अधिकारी गांव वालों पर अपना अत्याचार जारी रखते हैं और उन्हें जंगलों में घुसने से रोकते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के लोग उन्हें गालियां देते हैं और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं – जंगल तेरे बाप का है क्या?

गांव वालों का कहना था कि वे जंगलों को वन विभाग के भरोसे छोड़ने के बजाय वे लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। क्योंकि जंगल उनके अस्तित्व और गरिमा का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने जंगल की जमीन पर अपने अधिकार के दावे वर्षों पहले दर्ज कराए थे लेकिन ब्लॉक और जिला प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है।

यहां के लोगों से मिलने के बाद फैक्ट फाइंडिंग ने अधौरा पंचायत के झाड़पा गांव का दौरा किया। टीम ने वहां पप्पू पासवान के घर का दौरा किया। पप्पू उन सात आदिवासियों में शामिल हैं जिन्हें फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। टीम ने उनकी मां (शारदा देवी) से बात की। कोविड-19 के इस दौर में पप्पू के जेल में होने की वजह से वे काफी दुखी लग रही थीं। बेटे के जेल में होने का गम उन्हें साल रहा था। उनका कहना था कि कोई अपना अधिकार मांगे तो उसे जेल में डाल देना अन्याय है। टीम के सामने वह रोती रहीं और बेटे को जेल से छुड़ाने की मिन्नतें करने लगीं।

26 सितंबर की सुबह यह टीम अठान पंचायत के गुलु गांव पहुंची। वहां प्रमोद उरांव नाम के एक युवक ने पुलिस की क्रूरता की बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव वालों पर अकसर अत्याचार करते हैं। प्रमोद ने बताया कि कैसे

अधिकारी आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर खेती की इजाजत देने के लिए रिश्वत लेते हैं। अगर वे लोग रिश्वत नहीं देते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है।

टीम ने यह भी पाया कि वनाधिकार एक्ट 2006 के तहत गांव वालों ने जो दावे किए थे उन्हें ठीक से ड्राफ्ट भी नहीं किया गया है। उस पर सरकारी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। जंगल की जमीन पर गांव वाले अपना निजी और सामुदायिक दावा ठीक तरह से पेश कर सकें, इसके लिए उन्हें मदद की जरूरत है।

दोपहर तक टीम कैमूर जिला मुख्यालय लौट आई। वहां गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका पर बातचीत करने के लिए टीम के लोगों ने वकीलों से मुलाकात की।

वकीलों से मुलाकात

26 सितंबर, 2020 को दोपहर तक टीम भभुआ जिला पहुंच कर एडवोकेट छठू राम से मिली। राम 29 आरोपियों में से 22 की अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रहे थे। छठू राम डॉ. विनयन के साथ पहले काम कर चुके हैं और कई जनाधिकार आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर बेहद लचर और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार सात लोगों के केस तीन वकील लड़ेंगे। वे जल्द ही उनकी जमानत के लिए याचिका डालेंगे। यह फैसला लिया गया कि तीनों वकीलों के बीच बढ़िया तालमेल होना चाहिए ताकि गिरफ्तार आदिवासियों को न्याय मिले। वे लोग अपना केस अदालत के सामने ठीक तरह से रख सकें। यह भी निर्णय लिया गया कि अगर गिरफ्तार लोगों और आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है तो वकील पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

इस बातचीत के दौरान योजना बनी कि कानूनी टीम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिसिया क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ कोर्ट में निगरानी में जांच के दौरान मदद करेंगे। टीम इस मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ले जाएगी और उनसे जांच के लिए कहेगी। कानूनी टीम ने यह भी फैसला लिया कि जिन अधिकारियों ने पुलिस को लाठी और गोलियां चलाने का आदेश दिया था उनके खिलाफ काउंटर शिकायत कर केस दर्ज किया जाए।

हमने जो पाया

कैमूर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बालकेश्वर सिंह खरवार ने दावा किया कि अधौरा ब्लॉक के गोइंया गांव के लोगों को वन विभाग के लोगों और पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान पहले ही जबरदस्ती विस्थापित कर दिया था। उनका कहना था कि सरायनार में वन विभाग के लोगों ने 50 मकानों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, "वन विभाग के लोग पेड़ लगाने के नाम पर जबरदस्ती लोगों के खेतों पर गड्ढा खोद देते हैं और उन्हें यह जमीन छोड़ने के लिए दबाव डालते हैं।"

वन विभाग यह काम अधौरा ब्लॉक के सरकारी अधिकारियों से मिल कर करता है। ऐसा करना वनाधिकार कानून 2006 का सीधा उल्लंघन है। इस कानून में अनुसूचित जनजाति और दूसरे

पारंपरिक वन-निवासियों के वनाधिकार को चिन्हिंत किया गया है और उन्हें मान्यता दी गई है। इसी कानून के तहत इन्हें वनाधिकार मिले हुए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगते है। उससे उनकी जीविका खतरे में पड़ गई है। उनके लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। गांव वालों ने कहा कि वे जब जंगल में तेंदू पत्ता (बीड़ी बनाते वक्त तंबाकू लपेटने में काम आने वाला पत्ता) चुनने जाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब वे अपनी जीविका चलाने के लिए जंगल से जड़ी-बूटी चुन कर बेचने जाते हैं तो भी वन विभाग के अधिकारी और पुलिस उन्हें प्रताड़ित करती है।

तस्वीर 6 : झाड़पा गांव में एक औषधीय पेड़
(फोटो सौजन्य : दिल्ली समर्थक समूह)

वनाधिकार कानून के सेक्शन 4 (1) में साफ कहा गया है कि जंगल में रहने वाले अनुसूचित जाति और दूसरे पारंपरिक वन-निवासियों को उनके पेशे के इस्तेमाल में होने वाली जमीन से न तो हटाया जाएगा और न ही उनसे यह खाली कराई जाएगी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा तो भी ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। जनजातीय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार (31.3.2000 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता कानून) को लागू करने के स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक) मार्च, 2020 तक 8022 लोगों के दावों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इनमें से सिर्फ 121 लोगों को जमीन के पट्टे आवंटित किए

गए थे। जंगल की जमीन पर सामुदायिक दावों का कोई रिकार्ड नहीं मिला। इस हालात से यह साफ है कि जमीनी स्तर पर बिहार में यह कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा है।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम वन और पर्यावरण मंत्रालय और अन्य (C) NO. 180, 2011 केस, में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक संसाधनों का मालिकाना हक ग्राम सभा के पास है। इसलिए सामुदायिक जमीन, पवित्र वन कुंज और गांव की जंगल की जमीन का ग्राम सभा की अनुमति के बगैर अधिग्रहण नहीं हो सकता।

बालकेश्वर सिंह ने कहा, "हम पहले ही दुर्गावती और हरैया बाँध में अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। जब ये बाँध बने तो वन विभाग को इस जंगल में 5 हजार हेक्टेयर जमीन दी गई थी। इससे हमारे रहने की जमीन पर काफी असर पड़ा।"

लोगों को उनकी जीविका के एक प्रमुख स्रोत से महरूम किया जा रहा लेकिन कोई भी राजनीतिक नेता इस बारे में बोल नहीं रहा है। नतीजतन कैमूर, रोहतास पहाड़ के लोगों की जिंदगी अब पूरी तरह बरबाद होने की ओर बढ़ रही है। लेकिन राजनीतिक नेताओं को इस मुद्दे की चर्चा जरा भी गवारा नहीं है। वे आदिवासियों के इन मुद्दों को आंदोलन के लायक भी नहीं मानते। अब वन विभाग टाइगर रिजर्व के नाम पर पूरे पहाड़ के लोगों को विस्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

जब राजनीतिक नेताओं और सरकार की अनदेखी से तंग आकर यहां के लोगों ने 2020 के विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का फैसला किया तो उनका मुद्दा चर्चा में आया। लोगों ने अपनी बात कहने के लिए प्रतिनिधि चुनने के बजाय वोट बहिष्कार का फैसला किया। लोगों को लगा कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। वे आदिवासियों के मुद्दों को नहीं उठाना चाहते। लिहाजा लोगों को खुद आगे बढ़ कर अपनी आवाज सुनानी होगी और अधिनायकवादी सरकार का विरोध करना होगा। जनविरोधी नीतियां लागू करने वाली सरकार का विरोध करना होगा।

बहरहाल, इलाके का दौरा करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो सिफारिशें की हैं वे इस तरह हैं,

- वनाधिकार कानून, 2006 को प्रभावी और उसकी भावना के अनुरूप तुरंत लागू किया जाए
- 1927 के औपनिवेशिक वनाधिकार कानून को रद्द किया जाए और कैमूर को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कानून,1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए
- फर्जी आरोप में फंसाए गए और गिरफ्तार लोगों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर रद्द हो
- अधौरा ब्लॉक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की ओर से लाठियां और गोलियां चलाने की घटना की बिहार सरकार न्यायिक जांच कराए

- राज्य सरकार लाठीचार्ज और फायरिंग में घायल हुए लोगों को मुआवजा दे और उनके खिलाफ लगाए गए फर्जी आरोप वापस ले
- शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले आदिवासियों पर लाठीचार्ज कराने और फायरिंग का आदेश देने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए

****

अनुलग्नक

1. **FIR की प्रति (3 पेज)**

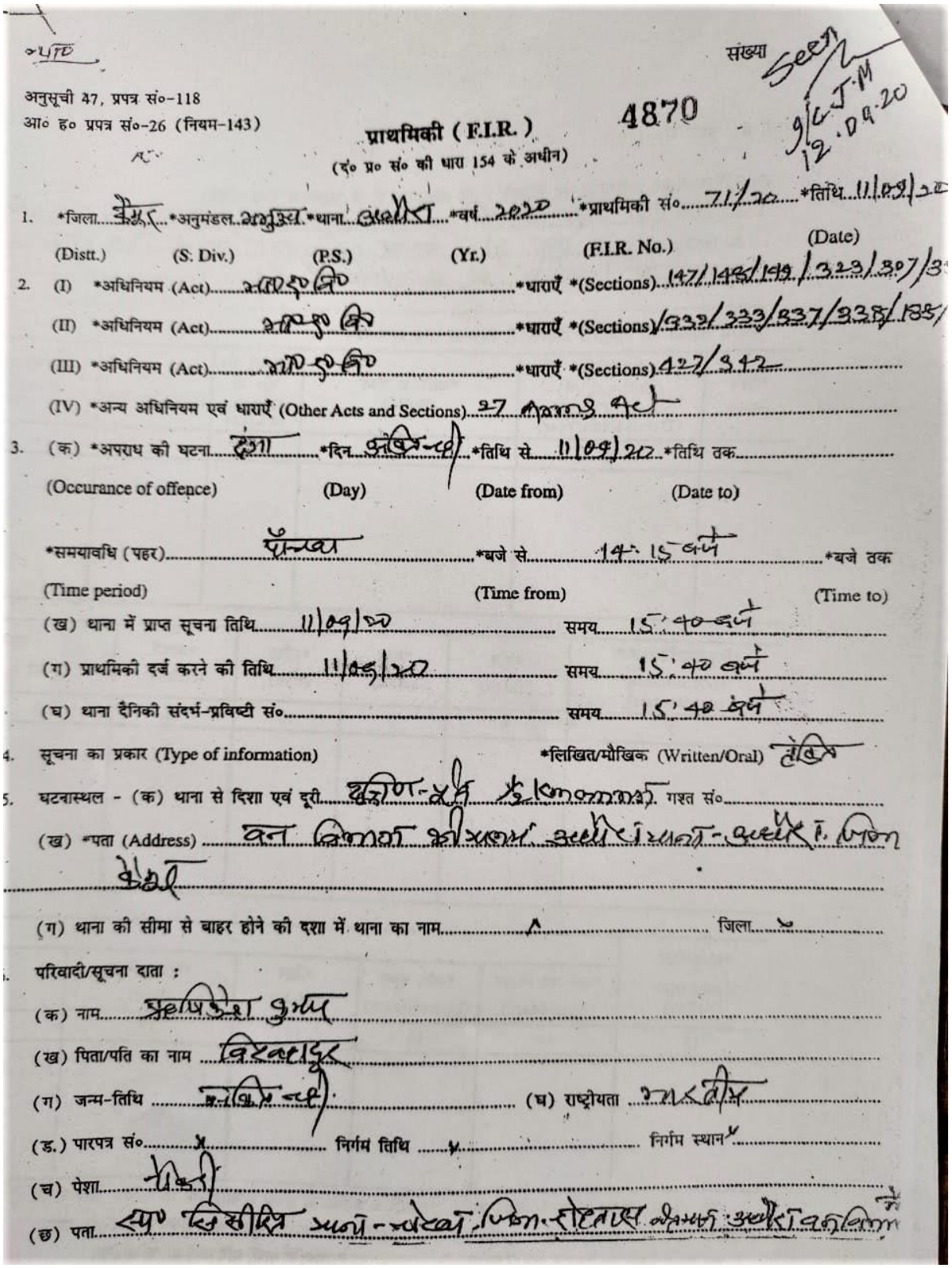

संख्या Seen 9/4 CJM 12.09.20

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118
आ० ह० प्रपत्र सं०-26 (नियम-143)

4870

प्राथमिकी (F.I.R.)
(द० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

1. *जिला कैमूर *अनुमंडल भभुआ *थाना अधौरा *वर्ष 2020 *प्राथमिकी सं० 71/20 *तिथि 11/09/20
(Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

2. (I) *अधिनियम (Act) भा०द०वि० *धाराएँ *(Sections) 147/148/149/323/307/3
(II) *अधिनियम (Act) भा०द०वि० *धाराएँ *(Sections) 332/333/337/338/185/
(III) *अधिनियम (Act) भा०द०वि० *धाराएँ *(Sections) 427/342
(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) 27 Arms Act

3. (क) *अपराध की घटना दंगा *दिन शुक्रवार *तिथि से 11/09/20 *तिथि तक
(Occurance of offence) (Day) (Date from) (Date to)

*समयावधि (पहर) पाँचवा *बजे से 14:15 बजे *बजे तक
(Time period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 11/09/20 समय 15:40 बजे
(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 11/09/20 समय 15:40 बजे
(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टी सं. समय 15:40 बजे

4. सूचना का प्रकार (Type of information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral) लिखित

5. घटनास्थल - (क) थाना से दिशा एवं दूरी दक्षिण-पश्चिम 5 km लगभग गश्त सं.
(ख) *पता (Address) वन विभाग कार्यालय अधौरा थाना-अधौरा जिला कैमूर

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम ✗ जिला ✗

6. परिवादी/सूचना दाता :
(क) नाम पुलिस उपाधीक्षक (?) [illegible]
(ख) पिता/पति का नाम विरबहादुर
(ग) जन्म-तिथि मालूम नहीं
(घ) राष्ट्रीयता भारतीय
(ङ.) पारपत्र सं. ✗ निर्गम तिथि ✗ निर्गम स्थान ✗
(च) पेशा नौकरी
(छ) पता स्था० [illegible] थाना-[illegible] जिला-रोहतास वर्तमान अधौरा वन विभाग

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

1. राजबहादुर सिंह पु० शिवबक्श सिंह [illegible] [illegible] अन्धेरा [illegible] [illegible] एवं शेष अज्ञात अभियुक्त [illegible] [illegible] प्रपत्र में अंकित कर अनुप्रेषित है।

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायें दी जाएं तभी इन स्तं प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः किए जाएंगे।

वादी का लिखित आवेदन जो इस काण्ड का मूल आधार है कुल पृष्ठ एक के साथ एवं अन्य प्रति छायाप्रति के साथ संलग्न है।

Amod Kumar
11/09/20
थानाध्यक्ष
अ० थाना ...

13. की गयी कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया अमोद कुमार 87990518 पदनाम पु०अ०नि० का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/ अधिकारिता के प्रश्न पर .... थाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No,. 2 registered the case and took up the investigation / directed* .... Rank................................ to take up the investigation.)

14. परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

15. थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय –

Amod Kumar
11/09/20
थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) अमोद कुमार
पदनाम (Designation) पु० अ० नि० सह थानाध्यक्ष ...

किए जाएंगे।

2. FIR में जोड़े गए अन्य व्यक्तियों की जानकारी

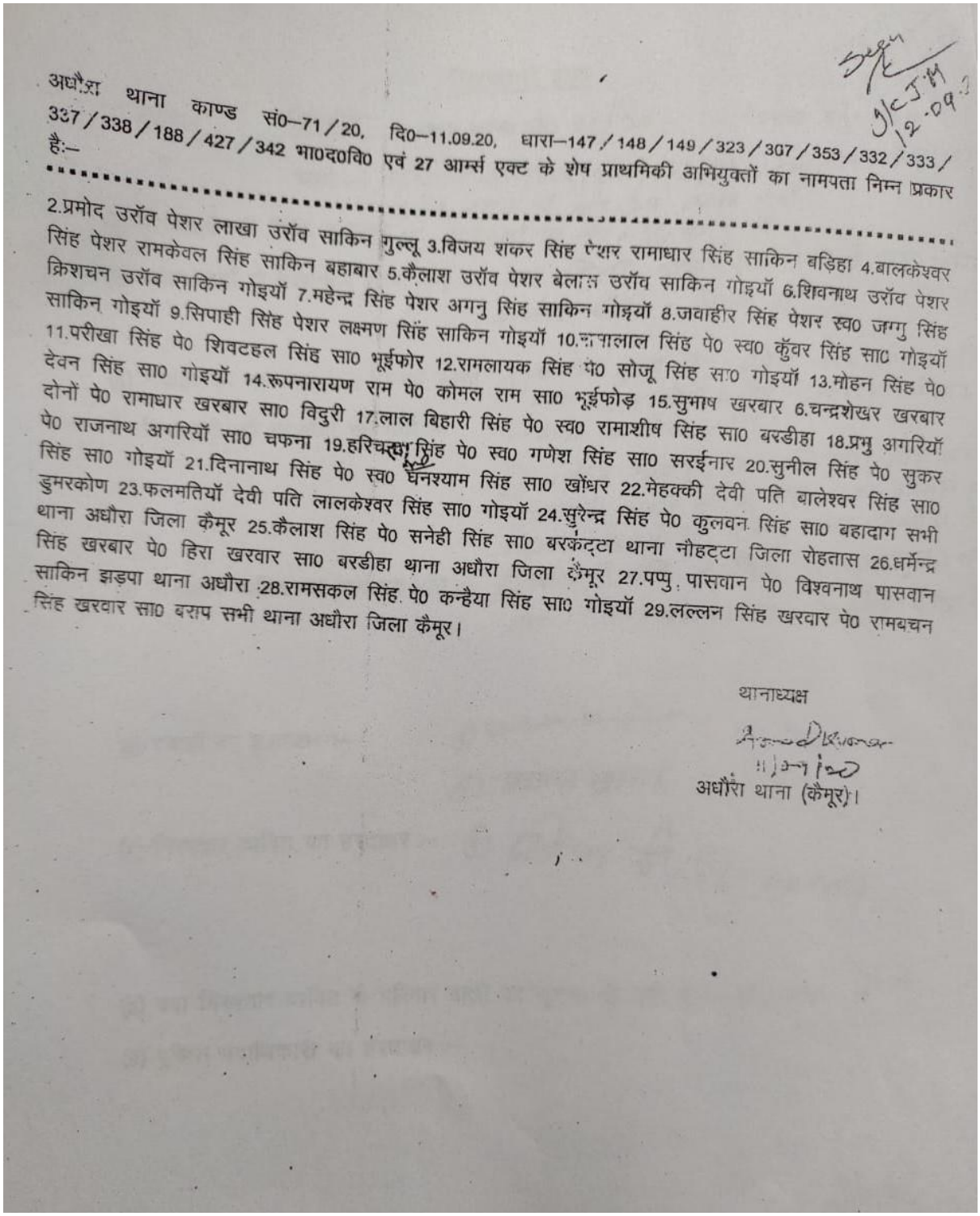

अधौरा थाना काण्ड सं0–71/20, दि0–11.09.20, धारा–147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/188/427/342 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के शेष प्राथमिकी अभियुक्तों का नामपता निम्न प्रकार है:–

2.प्रमोद उरॉव पेशर लाखा उरॉव साकिन गुल्लू 3.विजय शंकर सिंह पेशर रामाधार सिंह साकिन बड़िहा 4.बालकेश्वर सिंह पेशर रामकेवल सिंह साकिन बहाबार 5.कैलाश उरॉव पेशर बेलास उरॉव साकिन गोइयॉ 6.शिवनाथ उरॉव पेशर क्रिशचन उरॉव साकिन गोइयॉ 7.महेन्द्र सिंह पेशर अगनु सिंह साकिन गोइयॉ 8.जवाहीर सिंह पेशर स्व0 जग्गु सिंह साकिन गोइयॉ 9.सिपाही सिंह पेशर लक्ष्मण सिंह साकिन गोइयॉ 10.लालालाल सिंह पे0 स्व0 कुँवर सिंह सा0 गोइयॉ 11.परीखा सिंह पे0 शिवटहल सिंह सा0 भूईफोर 12.रामलायक सिंह पे0 सोजू सिंह सा0 गोइयॉ 13.मोहन सिंह पे0 देवन सिंह सा0 गोइयॉ 14.रूपनारायण राम पे0 कोमल राम सा0 भूईफोड़ 15.सुभाष खरबार 6.चन्द्रशेखर खरबार दोनों पे0 रामाधार खरबार सा0 विदुरी 17.लाल बिहारी सिंह पे0 स्व0 रामाशीष सिंह सा0 बरडीहा 18.प्रभु अगरियॉ पे0 राजनाथ अगरियॉ सा0 चफना 19.हरिचरण सिंह पे0 स्व0 गणेश सिंह सा0 सरईनार 20.सुनील सिंह पे0 सुकर सिंह सा0 गोइयॉ 21.दिनानाथ सिंह पे0 स्व0 घनश्याम सिंह सा0 खोंधर 22.मेहक्की देवी पति बालेश्वर सिंह सा0 डुमरकोण 23.फलमतियॉ देवी पति लालकेश्वर सिंह सा0 गोइयॉ 24.सुरेन्द्र सिंह पे0 कुलवन सिंह सा0 बहादाग सभी थाना अधौरा जिला कैमूर 25.कैलाश सिंह पे0 सनेही सिंह सा0 बरकट्टा थाना नौहट्टा जिला रोहतास 26.धर्मेन्द्र सिंह खरबार पे0 हिरा खरवार सा0 बरडीहा थाना अधौरा जिला कैमूर 27.पप्पु पासवान पे0 विश्वनाथ पासवान साकिन झड़पा थाना अधौरा 28.रामसकल सिंह पे0 कन्हैया सिंह सा0 गोइयॉ 29.लल्लन सिंह खरवार पे0 रामबचन सिंह खरवार सा0 बराप सभी थाना अधौरा जिला कैमूर।

थानाध्यक्ष

अधौरा थाना (कैमूर)।

3. अग्रसारण प्रतिवेदन की प्रति

सेवा में,

माननीय न्यायालय श्रीमति अमृता सिंह,
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,भभुआ (कैमूर)

प्रसंग :– अधौरा थाना काण्ड संख्या–71 / 20 दिनांक–11.09.2020 धारा–147 / 148 / 149 / 323 / 307 / 353 / 332 / 333 / 337 / 338 / 188 / 427 / 342 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट

विषय :– **अग्रसारण प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. सिपाही सिंह पे0– श्री लक्ष्मन सिंह 2. रामसकल सिंह खरवार पे0–कन्हैया सिंह दोनों सा0– गोईयां 3. लल्लन सिंह खरवार पे0– श्री रामबचन सिंह खरवार सा0– बड़ाप 4.धर्मेन्द्र सिंह खरवार पे0– श्री हिरा खरवार सा0– बरडिहां 5. पप्पु पासवान पे0– विसुनाथ पासवान सा0– झड़पा 6.[illegible] (हरीचन्द) सिंह पे0– स्व0 गणेश सिंह सा0– सरईनार सभी थाना– अधौरा जिला– कैमूर 7.कैलाश सिंह पे0– सनेही सिंह सा0– बरकट्टा थाना– नौहट्टा जिला– रोहतास को गिरफ्तार कर उचित मार्ग रक्षण दल के साथ माननीय न्यायायिक में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1. सिपाही सिंह पे0– श्री लक्ष्मन सिंह 2. रामसकल सिंह खरवार पे0–कन्हैया सिंह दोनों सा0– गोईयां 3. लल्लन सिंह खरवार पे0– श्री रामबचन सिंह खरवार सा0– बडाप 4.धर्मेन्द्र सिंह खरवार पे0– श्री हिरा खरवार सा0– बरडिहां 5. पप्पु पासवान पे0– विसुनाथ पासवान सा0– झड़पा 6.[illegible] (हरीचन्द) सिंह पे0– स्व0 गणेश सिंह सा0– सरईनार सभी थाना– अधौरा जिला– कैमूर 7.कैलाश सिंह पे0– सनेही सिंह सा0– बरकट्टा थाना– नौहट्टा जिला– रोहतास को कम से कम एक पखवारे तक न्यायायिक अभिरक्षा में रखने की कृपा करें इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किये जाने की पूर्ण संभावना है।

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

साक्ष्य ज्ञाप :–

1. यह कि कांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है।
2. इनके विरुद्ध आरोप– पत्र का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

(अमोद कुमार)
पु0अ0नि0–सह–थानाध्यक्ष
अधौरा (कैमूर)

4. वन विभाग के फोरेस्टर ऋषिकेश कुमार का बयान

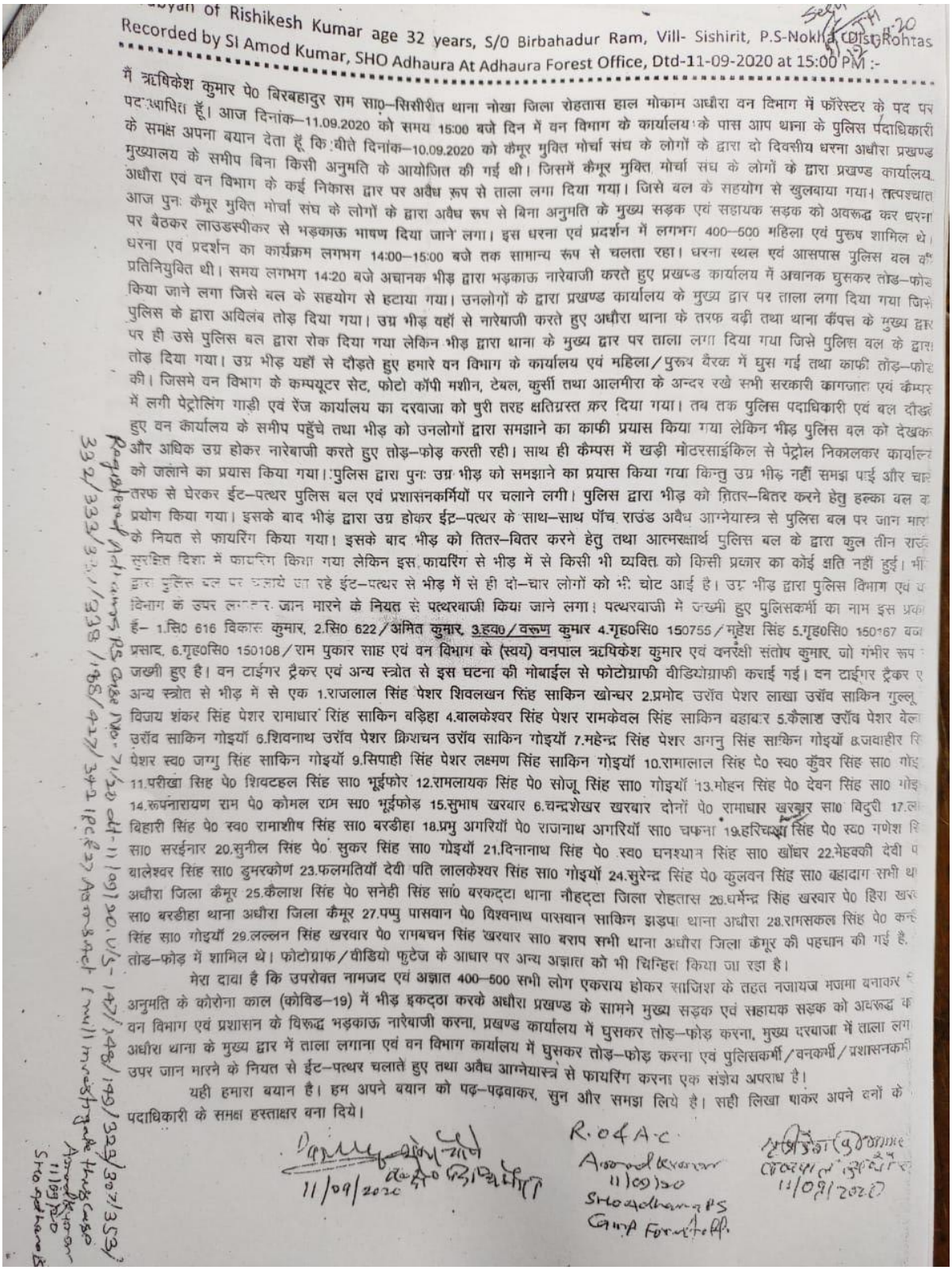

...byan of Rishikesh Kumar age 32 years, S/O Birbahadur Ram, Vill- Sishirit, P.S-Nokha, Dist-Rohtas Recorded by SI Amod Kumar, SHO Adhaura At Adhaura Forest Office, Dtd-11-09-2020 at 15:00 PM :-

मैं ऋषिकेश कुमार पे० बिरबहादुर राम सा०–सिसीरीत थाना नोखा जिला रोहतास हाल मोकाम अधौरा वन विभाग में फॉरेस्टर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज दिनांक–11.09.2020 को समय 15:00 बजे दिन में वन विभाग के कार्यालय के पास आप थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान देता हूँ कि बीते दिनांक–10.09.2020 को कैमूर मुक्ति मोर्चा संघ के लोगों के द्वारा दो दिवसीय धरना अधौरा प्रखण्ड मुख्यालय के समीप बिना किसी अनुमति के आयोजित की गई थी। जिसमें कैमूर मुक्ति मोर्चा संघ के लोगों के द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, अधौरा एवं वन विभाग के कई निकास द्वार पर अवैध रूप से ताला लगा दिया गया। जिसे बल के सहयोग से खुलवाया गया। तत्पश्चात आज पुनः कैमूर मुक्ति मोर्चा संघ के लोगों के द्वारा अवैध रूप से बिना अनुमति के मुख्य सड़क एवं सहायक सड़क को अवरूद्ध कर धरना पर बैठकर लाउडस्पीकर से भड़काऊ भाषण दिया जाने लगा। इस धरना एवं प्रदर्शन में लगभग 400–500 महिला एवं पुरूष शामिल थे। धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम लगभग 14:00–15:00 बजे तक सामान्य रूप से चलता रहा। धरना स्थल एवं आसपास पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति थी। समय लगभग 14:20 बजे अचानक भीड़ द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करते हुए प्रखण्ड कार्यालय में अचानक घुसकर तोड़–फोड़ किया जाने लगा जिसे बल के सहयोग से हटाया गया। उनलोगों के द्वारा प्रखण्ड कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया जिसे पुलिस के द्वारा अविलंब तोड़ दिया गया। उग्र भीड़ वहाँ से नारेबाजी करते हुए अधौरा थाना के तरफ बढ़ी तथा थाना कैंपस के मुख्य द्वार पर ही उसे पुलिस बल द्वारा रोक दिया गया लेकिन भीड़ द्वारा थाना के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया जिसे पुलिस बल के द्वारा तोड़ दिया गया। उग्र भीड़ यहाँ से दौड़ते हुए हमारे वन विभाग के कार्यालय एवं महिला/पुरूष बैरक में घुस गई तथा काफी तोड़–फोड़ की। जिसमे वन विभाग के कम्पयूटर सेट, फोटो कॉपी मशीन, टेबल, कुर्सी तथा आलमीरा के अन्दर रखे सभी सरकारी कागजात एवं कैम्पस में लगी पेट्रोलिंग गाड़ी एवं रेंज कार्यालय का दरवाजा को पुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तब तक पुलिस पदाधिकारी एवं बल दौड़ते हुए वन कार्यालय के समीप पहुँचे तथा भीड़ को उनलोगों द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन भीड़ पुलिस बल को देखकर और अधिक उग्र होकर नारेबाजी करते हुए तोड़–फोड़ करती रही। साथ ही कैम्पस में खड़ी मोटरसाईकिल से पेट्रोल निकालकर कार्यालय को जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा पुनः उग्र भीड़ को समझाने का प्रयास किया गया किन्तु उग्र भीड़ नहीं समझ पाई और चारों तरफ से घेरकर ईट–पत्थर पुलिस बल एवं प्रशासनकर्मियों पर चलाने लगी। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर–बितर करने हेतु हल्का बल का प्रयोग किया गया। इसके बाद भीड़ द्वारा उग्र होकर ईट–पत्थर के साथ–साथ पॉच राउंड अवैध आग्नेयास्त्र से पुलिस बल पर जान मारने के नियत से फायरिंग किया गया। इसके बाद भीड़ को तितर–बितर करने हेतु तथा आत्मरक्षार्थ पुलिस बल के द्वारा कुल तीन राउंड सुरक्षित दिशा में फायरिंग किया गया लेकिन इस फायरिंग से भीड़ में से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं हुई। भीड़ द्वारा पुलिस बल पर चलाये जा रहे ईट–पत्थर से भीड़ में से ही दो–चार लोगों को भी चोट आई है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस विभाग एवं वन विभाग के उपर लगातार जान मारने के नियत से पत्थरबाजी किया जाने लगा। पत्थरबाजी मे जख्मी हुए पुलिसकर्मी का नाम इस प्रकार है– 1.सि0 616 विकास कुमार, 2.सि0 622/अमित कुमार, 3.हव0/वरूण कुमार 4.गृह0सि0 150755/महेश सिंह 5.गृह0सि0 150167 वज प्रसाद, 6.गृह0सि0 150108/राम पुकार साह एवं वन विभाग के (स्वयं) वनपाल ऋषिकेश कुमार एवं वनरक्षी संतोष कुमार, जो गंभीर रूप से जख्मी हुए है। वन टाईगर ट्रैकर एवं अन्य स्त्रोत से इस घटना की मोबाईल से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। वन टाईगर ट्रैकर एवं अन्य स्त्रोत से भीड़ में से एक 1.राजलाल सिंह पेशर शिवलखन सिंह साकिन खोन्धर 2.प्रमोद उरॉव पेशर लाखा उरॉव साकिन गुल्लू विजय शंकर सिंह पेशर रामाधार सिंह साकिन बड़िहा 4.बालकेश्वर सिंह पेशर रामकेवल सिंह साकिन बहाबार 5.कैलाश उरॉव पेशर वेला उरॉव साकिन गोइयाँ 6.शिवनाथ उरॉव पेशर क्रिशचन उरॉव साकिन गोइयाँ 7.महेन्द्र सिंह पेशर अगनु सिंह साकिन गोइयाँ 8.जवाहीर सिंह पेशर स्व0 जग्गु सिंह साकिन गोइयाँ 9.सिपाही सिंह पेशर लक्ष्मण सिंह साकिन गोइयाँ 10.रामालाल सिंह पे0 स्व0 कुँवर सिंह सा0 गोइयाँ 11.परीखा सिह पे0 शिवटहल सिंह सा0 भूईफोर 12.रामलायक सिंह पे0 सोजू सिंह सा0 गोइयाँ 13.मोहन सिंह पे0 देवन सिंह सा0 गोइयाँ 14.रूपनारायण राम पे0 कोमल राम सा0 भूईफोड़ 15.सुभाष खरवार 6.चन्द्रशेखर खरवार दोनों पे0 रामाधार खरवार सा0 विदुरी 17.लाल विहारी सिंह पे0 स्व0 रामाशीष सिंह सा0 बरडीहा 18.प्रभु अगरियाँ पे0 राजनाथ अगरियाँ सा0 चफना 19.हरिचरण सिंह पे0 स्व0 गणेश सिंह सा0 सरईनार 20.सुनील सिंह पे0 सुकर सिंह सा0 गोइयाँ 21.दिनानाथ सिंह पे0 स्व0 घनश्याम सिंह सा0 खोंधर 22.मेहक्की देवी पति बालेश्वर सिंह सा0 डुमरकोण 23.फलमतियाँ देवी पति लालकेश्वर सिंह सा0 गोइयाँ 24.सुरेन्द्र सिंह पे0 कुलवन सिंह सा0 बहादाग सभी थाना अधौरा जिला कैमूर 25.कैलाश सिंह पे0 सनेही सिंह सा0 बरकट्टा थाना नौहट्टा जिला रोहतास 26.धर्मेन्द्र सिंह खरवार पे0 हिरा खरवार सा0 बरडीहा थाना अधौरा जिला कैमूर 27.पप्पु पासवान पे0 विश्वनाथ पासवान साकिन झड़पा थाना अधौरा 28.रामसकल सिंह पे0 कन्हैया सिंह सा0 गोइयाँ 29.लल्लन सिंह खरवार पे0 रामबचन सिंह खरवार सा0 बराप सभी थाना अधौरा जिला कैमूर की पहचान की गई है, तोड़–फोड़ में शामिल थे। फोटोग्राफ/वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य अज्ञात को भी चिन्हित किया जा रहा है।

मेरा दावा है कि उपरोक्त नामजद एवं अज्ञात 400–500 सभी लोग एकराय होकर साजिश के तहत नजायज मजमा बनाकर बिना अनुमति के कोरोना काल (कोविड–19) में भीड़ इकट्ठा करके अधौरा प्रखण्ड के सामने मुख्य सड़क एवं सहायक सड़क को अवरूद्ध कर वन विभाग एवं प्रशासन के विरूद्ध भड़काऊ नारेबाजी करना, प्रखण्ड कार्यालय में घुसकर तोड़–फोड़ करना, मुख्य दरवाजा में ताला लगाना, अधौरा थाना के मुख्य द्वार में ताला लगाना एवं वन विभाग कार्यालय में घुसकर तोड़–फोड़ करना एवं पुलिसकर्मी/वनकर्मी/प्रशासनकर्मी के उपर जान मारने के नियत से ईट–पत्थर चलाते हुए तथा अवैध आग्नेयास्त्र से फायरिंग करना एक संज्ञेय अपराध है।

यही हमारा बयान है। हम अपने बयान को पढ़–पढ़वाकर, सुन और समझ लिये है। सही लिखा पाकर अपने वनों के पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर बना दिये।

R.O & A.C

Amod Kumar 11/09/20 SHO Adhaura PS Camp Forest Off.

11/09/2020

5. हरिचरण सिंह का गिरफ्तारी ज्ञाप

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंगः– अधौरा ...... थाना काण्ड सं0 71/20 दिनांक 11/09/20

धारा :– 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338 427/342 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :– 11/09/20 को 15:55 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :– वन विभाग कार्यालय अधौरा थाना अधौरा जिला कैमूर

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवाई की गयी :– ① संतोष कुमार पे० रमेश यादव मैजीका थाना - ओबरा जिला - नवादा A/p विभाग अधौरा प्रोजेक्ट जिला - कैमूर। ② प्रशान्त कुमार पे० - विद्यासागर शर्मा इस्लाम थाना - परैया जिला गया A/p व० अधौरा प्रोजेक्ट जिला - कैमूर

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :– ① हरिश्चन्द्र सिंह पे० स्व० गणेश सरईनार थाना - अधौरा जिला - कै०

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :– ① Santosh Kumar
② प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :– LTI हरिश्चन्द्र सिंह

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :– हाँ/नहीं– हाँ।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–

समर्पित
[signature] 11/09/20
SI

6. धर्मेन्द्र सिंह खरवार का गिरफ्तारी ज्ञाप

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंगः–

अधौरा .... थाना काण्ड सं0 71/20 दिनांक 11/09/20

धारा :– 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/188/[illegible] 342 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :– 11/09/20 16:20 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :– वन विभाग कार्यालय अधौरा के पास थाना अधौरा जिला- कैमूर।

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवाई की गयी :– (1) संतोष कुमार पे०- [illegible] [illegible] थाना- [illegible] [illegible] A/P वन विभाग अधौरा थाना जिला- कैमूर। (2) प्रशान्त कुमार पे०- [illegible] [illegible] [illegible] थाना- [illegible] [illegible] वन विभाग अधौरा थाना जिला- कैमूर।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :– (1) धर्मेन्द्र सिंह खरवार पे०- [illegible] खरवार ग्रा०- बरहिला थाना- अधौरा, जिला- कैमूर

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :– (1) Santosh Kumar

(2) प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :– धर्मेन्द्र सिंह खरवार

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :– हाँ/नहीं– हाँ।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–

समर्पित

[signature]

11/09/20

SHO [illegible]

7. कैलाश सिंह का गिरफ्तारी ज्ञाप

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंगः– अथौरा थाना काण्ड सं० 71/20 दिनांक 11/09/20

धारा :– 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/120B/427/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :– 11/09/20 को 16:35 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :– वन विभाग, आरोहण अधौरा के पास थाना · अधौरा, जिला · कैमूर।

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवाई की गयी :– ① संतोष कुमार पे- ... थाना ... जिला- ... A/P वन विभाग ... जिला- कैमूर। ② प्रशांत कुमार पे०- ... थाना ... जिला- ... A/P वन विभाग अधौरा जिला - कैमूर।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :– ① कैलाश सिंह पे- ... ग्राम- बरकट्टा थाना - नौहट्टा जिला · रोहतास

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :– ① Santosh Kumar ② प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :– ①

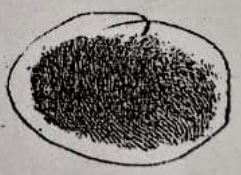

LTI · कैलाश सिंह

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :– हाँ/नहीं– है।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–

समर्पित
11/09/20
SHO ...

8. लल्लन सिंह खरवार का गिरफ्तारी ज्ञाप

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंग:— अधौरा थाना काण्ड सं० 7/20 दिनांक 11/07/20

धारा :- 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/18 342 भा० द० वि० एवं 27 Arms Act.

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :- 11/09/20 समय - 16:45 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :- वन विभाग कार्यालय अधौरा के पास : अधौरा जिला - कैमूर।

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवाई की गयी :- ① संतोष कुमार पे०- स्व० ... सा०-ग्रा ... थाना - ... जिला - नवादा वर्तमान वन ... अधौरा प्रखंड जिला - कैमूर
② प्रशान्त कुमार पे०- विनोद शर्मा सा० ... थाना ... जिला - ... A/P वन अधौरा ... जिला - कैमूर

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :- ① लल्लन सिंह खरवार पे०- रामवचन खरवार सा० - बड़ाप थाना - अधौरा जि० कैमूर

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :- ① Santosh Kumar
② प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :- लल्लन सिंह खरवार

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :- हाँ/नहीं:- हाँ।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

समर्पित

[signature]
11/09/20
SHO अधौरा

9. पप्पू पासवान का गिरफ्तारी ज्ञाप

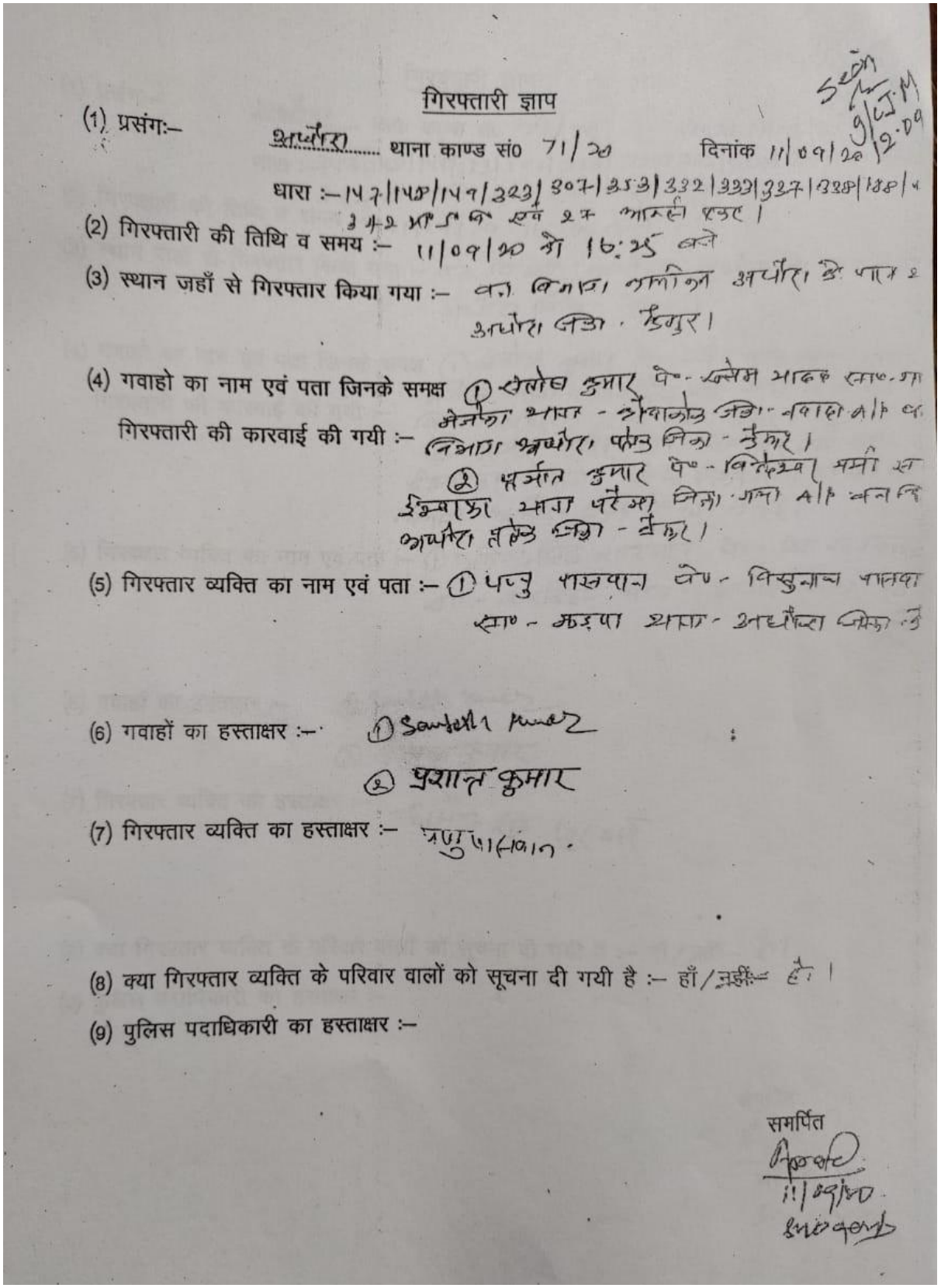

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंगः— अधौरा थाना काण्ड सं0 71/20 दिनांक 11/09/20

धारा :— 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/188/ [illegible] 342 भा॰द॰वि॰ एवं 27 आर्म्स एक्ट।

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :— 11/09/20 को 16:25 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :— [illegible] अधौरा [illegible] अधौरा जिला - कैमुर।

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवाई की गयी :— ① संतोष कुमार पे॰ - [illegible] थाना - [illegible] निवास अधौरा, [illegible] जिला - कैमुर। ② प्रशांत कुमार पे॰ - [illegible] थाना [illegible] अधौरा [illegible] जिला - कैमुर।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :— ① पप्पु पासवान पे॰ - विश्वनाथ पासवान सा॰ - [illegible] थाना - अधौरा जिला - कै॰

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :— ① Santosh Kumar ② प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :— पप्पु पासवान

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :— हाँ/~~नहीं~~ है।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—

समर्पित

11/09/20

10. रामसकल सिंह खरवार का गिरफ्तारी ज्ञाप

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंग:– अधौरा थाना काण्ड सं० 71/20 दिनांक 11/09/20

धारा :– 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/[illegible] 427/3-4 [illegible] 27 आर्म्स एक्ट।

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :– 11/09/20 को 16:55 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :– वन विभाग कार्यालय अधौरा के पास थाना अधौरा जिला- कैमूर।

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवाई की गयी :– ① संतोष कुमार पे०- रमेश यादव सा०- [illegible] मेजीरा थाना- [illegible] जिला- [illegible] वर्तमान विभाग अधौरा तैनात जिला- कैमूर। ② प्रशान्त कुमार पे०- [illegible] शर्मा [illegible] थाना- [illegible] विभाग अधौरा तैनात जिला- कैमूर।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :– रामसकल सिंह खरवार पे०- कन्हैया सिंह [illegible] थाना- अधौरा, जिला- कैमूर।

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :– ① Santosh Kumar

② प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :– LTI रामसकल सिंह खरवार

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :– हाँ/नहीं:– हाँ।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–

समर्पित

[signature]

11/09/20

SHO Adhaura

11. सिपाही सिंह का गिरफ्तारी ज्ञाप

Seen
CJM
12.09.20

गिरफ्तारी ज्ञाप

(1) प्रसंग:— अधौरा थाना काण्ड सं० 71/20 दिनांक 11/09/20

धारा :— 147/148/149/323/307/353/332/333/337/338/188 342 भा० द० वि० एवं 27 Arms Act

(2) गिरफ्तारी की तिथि व समय :— 11/09/20 को, 15:50 बजे

(3) स्थान जहाँ से गिरफ्तार किया गया :— वन विभाग कार्यालय अधौरा के पास थाना अधौरा जिला - कैमूर

(4) गवाहो का नाम एवं पता जिनके समक्ष गिरफ्तारी की कारवांई की गयी :— (1) संतोष कुमार पे०- [illegible] ग्राम - [illegible] थाना - [illegible] जिला - [illegible] वर्तमान वन विभाग अधौरा जिला कैमूर।

(2) प्रशांत कुमार पे० - [illegible] ग्राम - [illegible] थाना [illegible] जिला - [illegible] वर्तमान वन विभाग अधौरा जिला थाना अधौरा जि० कै०

(5) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता :— (1) सिपाही सिंह [illegible] पे० - हनुमान [illegible] सा० - [illegible] थाना - अधौरा जिला कै०

(6) गवाहों का हस्ताक्षर :— (1) Santosh Kumar

(2) प्रशान्त कुमार

(7) गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर :— (1) [illegible]

(8) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचना दी गयी है :— हाँ/नहीं:— हाँ।

(9) पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—

समर्पित
[signature]
11/09/20
SHO [illegible]